Border security in Kutch

1582. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Kutch District in Gujarat on the Pak border is a sensitive District;

(b) if so, the details of action taken to protect the life and property of the people living there;

(c) whether it is also a fact that a Memorandum was submitted to the Government by the Gujarat Government in respect of Border Security; and

(d) if so, the action taken in this regard?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) and (b) Reports indicate that after erection of border fencing fen International Border of Punjab and major parts of Rajasthan, activities of Pak ISI have shifted toward Gujarat border including Kutch District, In order to counter the threat posed by such activities, BSF troops are maintaining a constant vigil on the International Border along Gujarat. Work of fencing/flood lighting on a 10 Kms. stretch in the Luni Basin area is being executed alongwith the work being done in Rajasthan. Government have also sanctioned the fencing work in further 34 Kms. length in the same area.

(c) and (d) Yes, Sir. Government of India have accorded priority to the security of the border areas of Gujarat sector. Appropriate action has been taken on the various points raised in the Memorandum, in consultation with other departments/agencies of the Government and strengthening of border/ coastal security, is a continuing process.

बलात्कार के मामलों के संबंध में विधि आयोग का प्रतिवेदन

1583. **श्री लाल लाजपत राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बलात्कार के मामलों की सुनवाई के सबंधं में विधि आयोग ने अपने 154वें प्रतिवेदन में दंड प्रिक्रिया संहिता के सबंधं में कौन-कौन सी मुख्य सिफारिशें की हैं,

(ख) उक्त प्रतिवेदन में और कौन-कौन सी महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई है,

(ग) महत्वपूर्ण सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गये हैं या उठाए जाने का विचार है, और

(घ) क्या सरकार का ऐसे किसी प्रावधान का प्रस्ताव है कि बलात्कार की शिकार महिलाओं की जांच-पड़ताल महिला अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिये ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : विधि आयोग ने अपनी 154वीं रिपोर्ट में, बलात्कार के मामलों की सुनवाई के बारे में अनेक सिफारिशों की है। इस सबंधं में मुख्य सिफारिशें निम्नप्रकार से हैं:-

(i) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 26 (क) में यह उपबन्ध शामिल करना कि जहां तक व्यवहार्य हो, बलात्कार के अपराधो की सुनवाई महिला की अध्यक्षता वाले न्यायालय द्वारा की जानी चाहिये,

(ii) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) में यह व्यवस्था करना कि भा.दं.सं. की धारा 376, 376-क से 376-घ के अन्तर्गत अपराध को संज्ञालन में लेने के लिए शक्ति प्राप्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के साथ संबंधित महिला की चिकित्सा जांच रिपोर्ट लगी हुई है,

(iii) बाल बलात्कार सहित बलात्कार के मामलों की सुनवाई में अनुचित विलम्ब को रोकने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 की उपधारा (1) में एक उपबन्ध किया जाये कि, निर्णय, जहां तक सम्भव हो, साक्षियों की परीक्षा शुरू होने की तारीख से दो महीने के भीतर दे दिया जाना चाहिये,

(iv) संहिता की धारा 327(2) में विचारण, "बंद कमरे में" करने की व्यवस्था जहां तक व्यवहार्य हो एसा विचारण महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिये,

(v) बलात्कार विचारण कार्यवाहियों के मुद्रण और प्रकाशन पर प्रतिबंन्ध को हटाना, बशर्ते कि धारा 327 (2) के अन्तर्गत पक्षों के नाम और पते गुप्त रखे जाए।

(ख) रिपोर्ट में की गयी अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशों, पृथक जांच-पडताल एजेन्सी, स्वतंत्र अभियोजन एजेन्सी